



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2815]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938

No. 2815]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3594(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 दिसंबर, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:-

- (1) धारा 2 के खंड (क) से खंड (घ) [स्वैच्छिक समापन या शोधन अक्षमता से संबंधित उपबंध को छोड़कर];
- (2) धारा 4 से धारा 32 [दोनों सहित];
- (3) धारा 60 से धारा 77 [दोनों सहित];
- (4) धारा 198;
- (5) धारा 231;
- (6) धारा 236 से धारा 238 [दोनों सहित]; और
- (7) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (च)।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2016

**S.O. 3594(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> December, 2016 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:-

- (1) clause (a) to clause (d) of section 2 (except with regard to voluntary liquidation or Bankruptcy);
- (2) section 4 to section 32 [both inclusive];
- (3) section 60 to section 77 [both inclusive];
- (4) section 198;
- (5) section 231;
- (6) section 236 to section 238 [both inclusive]; and
- (7) clause (a) to clause (f) of sub-section (2) of section 239.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.